Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाई माधोपुर में रेलवे पुलिस चौकी का आरक्षक 70 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. सवाई माधोपुर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए रेलवे पुलिस चौकी लाखेरी, रेलवे पुलिस थाना सवाई माधोपुर में पदस्थापित आरक्षक **मोहम्मद नदीम कुरेशी को परिवादी से 70,000/- रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से रेलवे पुलिस चौकी लाखेरी में रेलवे सामानों की हुई चोरी के प्रकरण में मुल्जिम नहीं बनाने का दबाव बनाकर आरोपी द्वारा 1,00,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

परिवादी द्वारा आरोपी को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत ए.सी.बी. सवाई माधोपुर इकाई में शिकायत प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 25.08.2026 को रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी, आरक्षक, रेलवे पुलिस चौकी लाखेरी, रेलवे पुलिस थाना सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी की तारीख पेशी के दौरान रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर पर रेलवे सामानों की हुई चोरी के प्रकरण में परिवादी को मुल्जिम नहीं बनाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी के निवेदन पर आरोपी पहले 80,000/- रुपये तथा पुनः निवेदन करने पर 70,000/- रुपये रिश्वत राशि लेने पर राजी हो गया।

आज रिश्वत मांग के अनुसरण में आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी द्वारा परिवादी से संपर्क कर परिवादी के घर पर रिश्वत राशि लेने आने की बात कही गई। इस पर ए.सी.बी. टीम द्वारा ट्रेप कार्रवाई आयोजित की गई तथा आरोपी को परिवादी से 70,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि बरामद हो चुकी है।

ए.सी.बी. भरतपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरविजन में **श्री रामेश्वर परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, ए.सी.बी. सवाई माधोपुर द्वारा मय टीम उक्त ट्रेप कार्रवाई संपादित की गई।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्रवाई जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 9413502834** पर **24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।